झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1060 वर्ष 2017

कल्याणी प्रमाणिक, पत्नी–राज कुमार प्रमाणिक, पुत्री–स्वर्गीय नरेश प्रमाणिक, निवासी ग्राम–जगराद, डाकघर–कुमारधुबी, थाना–चिरमुण्डा, जिला–धनबाद

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

राज कुमार प्रमाणिक, पे0 श्री गौर प्रमाणिक, निवासी–कतरास राजबारी रोड, डाकघर एवं थाना–कतरास, जिला–धनबाद

.... उत्तरदाता

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के0 गुप्ता**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री संजय प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए:–

03 / दिनांकः 28वीं जून, 2017

याचिकाकर्ता ने मूल वाद संख्या 113 / 2016 में परिवार न्यायालय, धनबाद के अपर प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.01.2017 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करके उचित निर्देश जारी करने की मांग की है।

2. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को याची के मैका (पैतृक घर) में अवयस्क बच्चे से मिलने का अधिकार दिया गया है। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि जब भी प्रतिवादी याचिकाकर्ता के पैतृक घर जाता है, वह असंसदीय भाषा का उपयोग करता है और याचिकाकर्ता के माता–पिता के साथ झगड़ा करता है। याची को प्रत्यर्थी को दिए गए मुलाकात के अधिकार पर कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि प्रत्यर्थी के दुर्व्यवहार के कारण उसके माता–पिता के घर का शांति और शांतिपूर्ण वातावरण बिगड़ जाता है, इसलिए आदेश में संशोधन किया जाए और मुलाकात स्थान को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। यह कि प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल लिखित बयान के अेनुसार उसने स्वीकार किया है कि वह विवाह विच्छेद के लिए सहमत है लेकिन निचले न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया है और एक गलत आदेश पारित किया है।

3. सुना। निचले न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है और बच्चे के कल्याण पर विचार करते हुए आदेश में वर्णित नियमों और शर्तों पर मुलाकात का अधिकार प्रदान किया है। आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है। याचिकाकर्ता को निचली आदालत में उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता है यदि वह मुलाकात अवधि के दौरान प्रतिवादी के व्यवहार या गतिविधियों से व्यथित हैं और निचली अदालत इस पर विचार करेगी और मामले में आवश्यक आदेश पारित करेगी।

4. उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)